कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून–248195

फोन–(0135)-2970866, 2970867,फैक्स–(0135)-2970859, 2970865

Email : agaeuttarakhand@cag.gov.in,Website : www.agua.cag.gov.in

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक : 163/प्रशासन-II/ए.जी.यू.के (ले0एवंहक0)/ए0जी0टी0/2020/65
दिनांकः 12.11.2020

कार्यालय आदेश

वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 25.03.2020 से तालाबन्दी होने के पश्चात शासकीय कार्यालयों को दिनांक 04.05.2020 से खोले जाने के उपरान्त उत्तराखण्ड शासन के अधीन लोक निर्माग विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग आादि के विभिन्न खण्डों में खण्डीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों के अतिरिक्त प्रभार के खण्डो में अन्यत्र जिलों/स्टेशनों से सार्वजनिक यातायात व्यवस्था शुरू न होने के कारण आवागमन करने में आ रही बाधा को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय आदेश संख्या 163/प्रशासन-II/ए.जी.यू.के (ले0एवंहक0)/ए0जी0टी0/2020/01 दिनांक 12.05.2020 द्वारा खण्डीय लेखाकार से सम्बन्धित कार्यो के सफल संचालन हेतु सार्वजनिक यातायात सुलभ होने तक सभी खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाकारो द्वारा आपसी सामंजस्य से उसी जिले/स्टेशन में पदस्थापित अन्य खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाकार से कार्य देखना सुनिश्चित सम्बन्धी आदेश निर्गत किया गया था।

वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन द्वारा कमिक Unlock प्रकिया में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था शुरू होने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्यालय आदेश को निरस्त किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–

उपमहालेखाकार/प्रशासन

पत्रांक : 163/प्रशासन-II/ए.जी.यू.के (ले0एवंहक0)/ए0जी0टी0/2020/(915-918) दिनांकः 12.11.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, महालेखाकार (ले0एवंहक0), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. उपमहालेखाकार(लेखा एवं प्रशासन) प्रकोष्ठ।
3. द्वैत प्रभार से सम्बन्धित खण्डों के समस्त अधिशासी अभियन्ता
4. डाटा मैनेजर, स्थानीय को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश को इस कार्यालय की वैबसाईट के डी0ए0 कॉर्नर पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

12/11/20

वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशासन-II